



क्रमांक:-प.1(1)(138) मअ/स्था./2018/

जयपुर, दिनांक :

उप/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता
जिला समस्त।

विषय:- पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, विद्युत मार्ग, जयपुर से प्राप्त परिपत्र संलग्न कर लेख है कि आपके जिले में लम्बित पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर शीघ्र ही पेंशन विभाग को प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक : 1-12-2021

क्रमांक:-प.1(1)(138) मअ/स्था./2018/36827

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005



ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभा. नं. 0141-2740538, 2741687

वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :- प.5(254)निपेवि/नियम/2015/पार्ट-02/1244-H

दिनांक :- 22/11/21

Amr

समस्त विभागाध्यक्ष

22-10-45
22/11/21

परिपत्र

विषय:- पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।

राजकीय सेवारत कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन शीघ्र स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया विहित है। अतः, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित कार्यवाही शीघ्रतर कराने के प्रयास किये जाये। तथापि किसी प्रकरण में विलम्ब लगना संभावित हो तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 99 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा फॉर्म 33 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाकर पेंशन अधिकृति जारी करने हेतु प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया जावे। अतः आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पारिवारिक पेंशन के प्रकरण शीघ्र पेंशन विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

इसके अतिरिक्त 01.01.2004 एवं इसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के संबंध में भी ऐसे प्रकरणों को यथा शीघ्र निस्तारित करने का कष्ट करावे।

A, Es H

26.11.21

श्री अरुण

(संजय सोलंकी)

(संजय सोलंकी)

निदेशक